यालय

जगदीश **बनाम** लाल चन्द

मा संख्या वर्ष 54/2016 / 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
8/9/21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित एवं प्रतिवादी सं० 14 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार जोशी ने वकालात नामा पेश किया तथा प्रा० पत्र इकरारनामा पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया जिसे शामिल किया गया। वादी अभिभाषक द्वारा प्रकरण की सुनवाई के आधार पर इकरारनामा के आधार पर डिक्री किये जाने का निवेदन किया पत्रावली व उपलब्ध इकरारनामा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से की आपत्ति निस्तारण हेतु सुनवाई की गई है। अतः वाद को इकरारनामा रिपोर्ट अनुसार अनिवार्य रूप से डिक्री किये जाने आदेश किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल रिकार्ड किया जावे। पत्रावली की सत्य प्रतिलिपि होकर इस तरह से वाद निस्तारण पश्चात दाखिल दफ्तर हो।	प्राथमिक डिक्री से मैं सहमत हूँ। इसलिए मेरा भी विभाजन कर दिया जावे चन्दा 8/9-21 Incorporated by 8/9/21

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:43:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर जिला (श्रीगंगानगर)